संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1725/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20-5-17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 187
GOVT. COLLEGE,NARSHINGARH
GOVT. P.G.COLLEGE ARJUN MAHAL
NARSINGHGARH
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BCA-III-(60 SEAT) BCOM-III-COMPUTER APPLICATION (60 SEAT)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0क्रमांक 1726 /अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20-5-17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1727 अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 188
VEER SAWAKAR GOVT. COLLEGE,PACHORE
PADAMPURA ROAD, PACHORE PIN 465683
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-ENGLISH, BA-III-HINDI, BA-III-HISTORY, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MA-(F)-ECONOMICS, MA-(F)-HINDI, MA-(F)-POLITICAL SCIENCE

शर्तेः-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ०क्रमांक 1728 अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
सत्य मेव सत्र 2017-18

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1729/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 189
GOVT. COLLEGE,SARANGPUR
A B ROAD
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-HINDI, BA-III-HISTORY, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCOM-I-COMPUTER APPLICATION,

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0क्रमांक 1730/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1731/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 190
GOVT. COLLEGE,ZIRAPUR
PACHOR ROAD ZIRAPUR
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की स्थाई/अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-ENGLISH, BA-III-GEOGRAPHY, BA-III-HINDI, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MA-(F)-ECONOMICS, MA-(F)-POLITICAL SCIENCE

शर्तेः-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0क्रमांक 1732/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल • सत्र 2017-18

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1733 /अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20-5-17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 192
GOVT. P.G. COLLEGE,RAJGARH
PROFESSOR COLONY GOV P.G. COLLEGE
RAJGARH
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की स्थाई/अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-ENGLISH, BA-III-HINDI, BA-III-HISTORY, BA-III-HOME SCIENCE, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCOM-I-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-I-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MA-(F)-ECONOMICS, MA-(F)-ENGLISH, MA-(F)-HINDI, MA-(F)-HISTORY, MA-(F)-POLITICAL SCIENCE, MCOM-(F)-, MSC-(F)-CHEMISTRY(25 SEAT), MSC-(F)-MATHEMATICS

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0क्रमांक 1734/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20-5-17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
संबद्धता सत्र 2017-18

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1735/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 194
NSCB GOVT PG COLLEGE BIAORA
RAJGARH ROAD BIAORA
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु स्थाई/अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की स्थाई/अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-ENGLISH, BA-III-HINDI, BA-III-HISTORY, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCA-III-(60 SEAT), BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BIOTECHNOLOGY, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-MICROBIOLOGY, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MA-(F)-ECONOMICS, MA-(F)-POLITICAL SCIENCE, MA-(F)-SOCIOLOGY, MCOM-(F), MSC-(F)-MATHEMATICS

शर्तेः-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति नियमानुसार पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ०क्रमांक 1736/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
संबद्धता सत्र 2017-18

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20.5.17

क्रमांक 1737/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

प्राचार्य,
College Code: 195
NIRVINDIYA MAHAVIDYALAYA RAJGARH
KIRTI NAGAR RAJGARH BYPASS CHOURHA
BIAORA
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-HINDI, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BA-III-SOCIOLOGY, BCA-III-(60 SEAT), BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BIOTECHNOLOGY, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-MICROBIOLOGY, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MSC-(F)-BOTANY(25 SEAT), MSC-(F)-CHEMISTRY (25 SEAT) MSC(F)-COMPUTER SCIENCE(25 SEAT), MSC-(F)-PHYSICS(25 SEAT), MSC(F)-ZOOLOGY(25 SEAT)

शर्तें:-
1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश क्रमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,
उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20.5.17

पृ0क्रमांक 1738/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपिः-
1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1737/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 236
ANAND EXECELLENCY COLLEGE OF SCIENCE & I.T.
RAMLALA MARG BIAORA DISTT. RAJGARH M.P.
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BBA-III-(60 SEAT), BCA-III–(60 SEAT), BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BIOTECHNOLOGY, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-MICROBIOLOGY, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY, MSC-(F)-BIOTECHNOLOGY(25 SEAT), MSC(F)-COMPUTER SCIENCE(25 SEAT), PGDCA (30 SEAT)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0कमांक 1740/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 1741 /अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रति,

प्राचार्य,

College Code: 561
S.B.S. COLLEGE TALEN
SHUJALPUR ROAD TALEN
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांकः 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ENGLISH, BA-III-HINDI, BA-III-SOCIOLOGY, BCA-III-(60 SEAT), BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BCOM-III-PLAIN, BSC-III-BIOTECHNOLOGY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-MICROBIOLOGY, BSC-III-PHYSICS, MSC-(F)-CHEMISTRY(25 SEAT), MSC-(F)-PHYSICS (25 SEAT)

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

पृ0कमांक 1742/अकादमी/संबद्धता/2017 भोपाल, दिनांक 20.5.17

प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेब-साईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी

संबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20.5.17

क्रमांक 1749/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

प्राचार्य,
College Code: 919
PRAGYA SAGAR COLLEGE PACHORE
SHUJALPUR ROAD PACHORE
RAJGARH

विषयः- सत्र 2017-18 हेतु अस्थाई संबद्धता प्रदत्त करने संबंधी।

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08-05-2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के प्रावधानानुसार कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की प्रदान की जाती है :-

BA-III-ECONOMICS, BA-III-HINDI, BA-III-HISTORY, BA-III-POLITICAL SCIENCE, BBA-III-(60 SEAT), BCOM-III-COMPUTER APPLICATION, BSC-III-BIOTECHNOLOGY, BSC-III-BOTANY, BSC-III-CHEMISTRY, BSC-III-COMPUTER SCIENCE, BSC-III-MATHEMATICS, BSC-III-MICROBIOLOGY, BSC-III-PHYSICS, BSC-III-ZOOLOGY

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा ।
2. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रं.27 एवं 28, परीक्षा अध्यादेश कमांक 5,6,7 तथा अन्य नियमों/निर्देशों का पालन करना होगा ।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि हो) के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित शर्तों की पूर्ति करने के पश्चात ही आगामी सत्र में संबद्धता की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी, अन्यथा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
6. शिक्षकों की आवश्यक संख्या में नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत पूर्ण कर कार्यरत शिक्षकों की सूची 01 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करनी होगी।
7. बिना सम्बद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20.5.17

पृ0क्रमांक 1750/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रतिलिपिः-

1. अतिरिक्त संचालक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
2. संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
4. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल ।
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ ।
6. वेबसाईट प्रभारी की ओर इस आशय के साथ प्रस्तुत कि संबंधित जानकारी वि.वि. की वेबसाईट पर प्रकाशित करें।

सहा-कुलसचिव, अकादमी